

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक :- 198/14-1 (FP/UP/Pip Line/ 154062/2022) मुजफ्फरनगर दिनांक, 19/07/2022।
सेवा में,

श्री रघिन कंसल डी0जी0एम0,
मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, आई0जी0एल0 भवन
प्लॉट नं0-4 कम्युनिटी सेंटर, आर0के0पुरम सैक्टर-9
नई दिल्ली,-110022

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा ट्रान्सपोर्टनगर मुजफ्फरनगर भोपा रोड से ग्राम जटमुझेडा तक पी0डब्लू0डी0 कि0मी0 चैनैज 79.400 से कि0मी0 चैनैज 85.900 (लम्बाई 6.5 कि0मी0) तथा मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड पर (एन0एच0-58 फ्लाईवर से) से पंवार धर्मकांटा ग्राम सिखेडा की सीमा तक एन0एच0-709ए0डी0 कि0मी0 चैनैज 97.450 से कि0मी0 चैनैज 104.450 (लम्बाई 7.0 कि0मी0), कुल लम्बाई-13.500 कि0मी0 में 8" डाया सी0एस0 एवं 125 एम0एम0 एम0डी0पी0ई0 भूमिगत सी0एन0जी0 गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.6750 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी0-227/81-2-2022-800 (225) / 2022 दिनांक-13.07.2022।

कृपया उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक-13.07.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा ट्रान्सपोर्टनगर भोपा रोड से ग्राम जटमुझेडा तक पी0डब्लू0डी0 कि0मी0 चैनैज 79.400 से कि0मी0 चैनैज 85.900 (लम्बाई 6.5 कि0मी0) तथा मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड पर (एन0एच0-58 फ्लाईवर से) से पंवार धर्मकांटा ग्राम सिखेडा की सीमा तक एन0एच0-709ए0डी0 कि0मी0 चैनैज 97.450 से कि0मी0 चैनैज 104.450 (लम्बाई 7.0 कि0मी0), कुल लम्बाई-13.500 कि0मी0 में 8" डाया सी0एस0 एवं 125 एम0एम0 एम0डी0पी0ई0 भूमिगत सी0एन0जी0 गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.6750 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-13.07.2022 में उल्लिखित शर्त 02 एवं 31 के अनुपालन में वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि का आंकलन निम्नानुसार है-

1- संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि					
शर्त संख्या-02 व 31	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	0.6750 है0	957780.00 प्रति है0	646502.00	प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
		योग-		646502.00	

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्त संख्या- 02 एवं 31 के अनुपालन में 0.6750 है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रुपये-646502.00 (रुपये छः लाख छियालीस हजार पांच सौ दो मात्र), प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए, उक्त धनराशि जमा कराने का कष्ट करें तथा साथ ही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 13.07.2022 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या-1 से 33 तक की अनुपालन आख्या / प्रमाण पत्र / वचनबद्धताएँ मय धनराशि जमा की कैम्पा फण्ड की पावती 05 प्रतियों में इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संख्या 198 / दिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,(वन संरक्षण)उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।
- 3- क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजफ्फरनगर।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

प्रेषक.

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी

उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 2022

विषय- जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा ट्रांसपोर्टनगर मुजफ्फरनगर भोपा रोड से ग्राम जटमुझेडा तक पी०डब्लू०डी० किमी० चैनेज 79.400 से किमी० चैनेज 85.900 (लम्बाई 6.5 किमी०) तथा मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड (एन०एच०-58 फ्लाईओवर) से पवार धर्मकांटा ग्राम सिखेडा की सीमा तक एन०एच०-709 ए०डी० किमी० चैनेज 97.450 से किमी० चैनेज 104.45 (लम्बाई 7.00 किमी०) कुल लम्बाई 13.500 किमी० में 8" डाया सी०एस० एवं 125 एम०एम०, एम०डी०पी०ई० भूमिगत सी०एन०जी० गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.6750 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/154062/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-3723/11-सी-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/154062/2022 दिनांक 27.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 में विहित व्यवस्था के अंतर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा ट्रांसपोर्टनगर मुजफ्फरनगर भोपा रोड से ग्राम जटमुझेडा तक पी०डब्लू०डी० किमी० चैनेज 79.400 से किमी० चैनेज 85.900 (लम्बाई 6.5 किमी०) तथा मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड (एन०एच०-58 फ्लाईओवर) से पवार धर्मकांटा ग्राम सिखेडा की सीमा तक एन०एच०-709 ए०डी० किमी० चैनेज 97.450 से किमी० चैनेज 104.45 (लम्बाई 7.00 किमी०) कुल लम्बाई 13.500 किमी० में 8" डाया सी०एस० एवं 125 एम०एम०, एम०डी०पी०ई० भूमिगत सी०एन०जी० गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.6750 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जाती है:-

है :-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portel.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.
5	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6	No labour camps shall be established on the forest land.

- 7 Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
- 8 The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
- 9 The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 10 Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 11 Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
- 12 The compliance report shall be uploaded on e-portal ([https:// parivesh.nic.in/](https://parivesh.nic.in/)).
- 13 पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही विछाये जायेंगे।
- 14 पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन विछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- 15 प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
- 16 प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
- 17 वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
- 18 प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
- 19 भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
- 20 राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा
- 21 प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 22 प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
- 23 भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- 11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।
- 24 यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
- 25 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
27	नोडल अधिकारी, उ०प० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
29	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।
31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ० सी०, दिनांक 05-02-2009 के क्रम में भारत सरकार द्वारा रिवाइज आदेश दिनांक 06-01-2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority), में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
33	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी विन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Signed by आशीष तिवारी

Date: 13-07-2022 14:02:44

Reason: Approved

भवदीय,

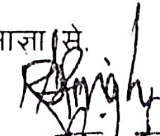
(आशीष तिवारी)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- (1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।
- (3)- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- (4) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।
- (5)- डीजीएम आईजीएल मुजफ्फरनगर।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

 (आर० पी० सिंह)
 सचिव

FP/UP/Pipeline/154062/2022

जनपद मुजफ्फरनगर में गैस इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा ट्रान्सपोर्टनगर मुजफ्फरनगर भोपा रोड से ग्राम जटमुझेडा तक पी०डब्ल्यू०डी० कि०मी० चैनैज 79.400 से कि०मी० चैनैज 85.900 (लम्बाई 6.5 कि०मी०) तथा मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड पर (एन०एच०-58 पलाईवर से) से पंचार धर्मकांटा ग्राम सिखेडा की सीमा तक एन०एच०-709ए०डी० कि०मी० चैनैज 97.450 से कि०मी० चैनैज 104.450 (लम्बाई 7.0 कि०मी०), कुल लम्बाई-13.500 कि०मी० में 8" डायामीटर सी०एस० एवं 125 एम०एम० एम०डी०पी०ई० भूमिगत सी०एन०जी० गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.6750 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव।

" प्रस्तावित वन भूमि की एन०पी०वी० (शुद्धवर्तमान मूल्य) की गणना

वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की गणना-

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1- | हरियाली घनत्व- | 0.3 |
| 2- | इको क्लास श्रेणी-III (Tropical Dry Deciduous Forest) | |
| 3- | एन०पी०वी० की दर प्रति है० | रूपये-957780.00 |
| 4- | आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- | 0.6750 है० |
| 5- | कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रूपये- | 646502.00 |

(कुलदीप सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर